झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–23 / 2020

1. गिरधारी यादव
2. मुनेश्वर भुईयां
3. सुनील कुमार उर्फ सुनील गुप्ता .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्तागण के लिए: श्री बी0के0 दुबे, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

02 / 13.1.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्तागण राजपुर थाना काण्ड संख्या 04 वर्ष 2018, जी0आर0 संख्या 234 वर्ष 2018 से उत्पन्न, एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या 41 वर्ष 2018 के सम्बन्ध में आरोपी हैं।

याचिकाकर्त्ताओं पर वन भूमि पर अतिक्रमण करके पोस्ता की खेती में शामिल होने का संदेह था। याचिकाकर्त्ता 8.11.2019 से हिरासत में हैं।

अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000 / – (दस हजार) रू0 के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर,

विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतरा के संतुष्टि पर, राजपुर थाना काण्ड संख्या 04 वर्ष 2018, जी0आर0 संख्या 234 वर्ष 2018 से उत्पन्न, एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या 41 वर्ष 2018 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)